



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012020-215301
CG-DL-E-10012020-215301

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2020/पौष 20, 1941

No. 125]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2020/PAUSHA 20, 1941

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2020

का.आ. 135(अ).—उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 40) की धारा (1) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों को 10 जनवरी, 2020, जिस तारीख से उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

[फा. सं. पी.13011/7(4)/2019-डीपी. III (भाग-2)]

राधिका चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2020

S.O. 135 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 (40 of 2019), the Central Government hereby appoints the 10th day of January, 2020 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. P.13011/7(4)/2019-DP-III (Pt-2)]

RADHIKA CHAKRAVARTHY, Jt. Secy.